(43) (150)

...कारों एवं अधि...
आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महो· ग्वालियर खण्डपीठ रीवा संभाग·

रीवा म·प्र·

- - - - - - - - - -

राजाराम पिता रामस्वरूप वियार निवासी ग्राम· जोवगढ़ तह· देवसर
जिला सिंगरौली म·प्र· -------- निगरानीकर्ता

बनाम

R 2415-I/12

1· गुन्जेश्वरी प्रसाद पिता लक्षनधारी गुर्जर
2· ललन प्रसाद पिता लक्षनधारी गुर्जर दोनो निवासी ग्राम· जोवगढ़ तह·
देवसर जिला· सिंगरौली म·प्र· ---------- उत्तरवादीगण·

अधिवक्ता श्री रामाश्रय शुक्ला
द्वारा प्रस्तुत।
रीवा दि० 5-06-2012
5/6/12

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
अपर कलेक्टर महो· वैढ़न के प्रकरण क्रमांक –
20/निगरानी/11·12 मे पारित आ०दि०
16·5·12 से व्यथित होकर ।

- - - - - - - -

निगरानी अन्तर्गत् धारा 50 म·प्र·भू·रा·सं·
1959

- - - - - - - -

27·7·12

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नांकित निगरानी पेश है:–

27·7·12

1= यहकि ग्राम· जोवगढ़ तह· देवसर स्थित आ·ख· क्र· पुराना 186/1 रकबा 0·50 डिस· से निर्मित नवीन आ·ख· क्र· 483 उत्तरवादी गण के पिता लक्षनधारी गुर्जर तनय देवमन गुर्जर के स्वत्व की भूमि थी ।

2= यहकि उक्त भूमि को उत्तरवादी गण / अनावेदक गण के पिता – लक्षनधारी गुर्जर द्वारा निगरानी कर्ता के पिता रामस्वरूप वियार सा· जोवगढ़ के पक्ष मे जरिए टीप विक्रीकर कब्जा दखल सौप दिया गया , और उक्त बेची टीप को स्टाम्प कलेक्टर सीधी म·प्र· द्वारा प्र· क्र· 454 दि· 20·8·90 को विधिवत् रजिस्टर्ड किया गया ।

3= यहकि उक्त विक्रय विलेख के आलोक मे नामान्तरण पंजी क्र· 1 दि० 4·10·90 को विधिवत् बजाय विक्रेता क्रेता रामस्वरूप वियार के नाम नामान्तरण स्वीकार हुआ । तब से निरंतर रिकार्ड मे क्रेता के नाम की प्रवृष्टि

(43)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–2415-I/12 जिला–सिंगरौली

राजाराम वियार/गुन्जेश्वरी प्रसाद चर्मकार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामाश्रय शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर बैढ़न, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 20/निग0/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	